न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
01/22	एफएसएस एक्ट, 2006	20/07/2022

1. वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधि0 सवाई माधोपुर ।

–आवेदक

बनाम

1. विनोद गुर्जर पुत्र केदार गुर्जर उम्र 35 वर्ष जाति गुर्जर निवासी गुर्जर ठीकरिया पंचायत बैराडा तह0 बामनवास (दूध विक्रेता) मैसर्स विनोद दूध वाला गुर्जर ठीकरिया पंचायत बैराडा तह0 बामनवास ।

–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांक 25.05.2025

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया , खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 12/06/2017 को समय 09:00 ए.एम पर उघाडमल बालाजी गंगापुर सिटी पहूँचा जहा पर मोटर साईकिल नं0 आरजे 25 एससी 0850 द्वारा दूध विक्रय हेतु जा रहे दूध विक्रेता को रोका तथा दूध विक्रेता की उपस्थिति में मोटर साईकिल पर रखी लोहे की टंकी का निरीक्षण किया विक्रय हेतु भरे खाद्य पदार्थ **Mixed Milk** के मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5 ए की प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक द्वारा खाद्य पदार्थ **Mixed Milk** 02 लीटर वास्ते नमूना जांच क्रय कर राशि 90/– रू0 नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गये खाद्य पदार्थ **Mixed Milk** को कांच की 04 साफ व सुखी शिशियों में बराबर –बराबर भरकर बतोर परिरक्षक 40–40 बूदें फार्मेलीन की डालकर अच्छी तरह बन्द किया , आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार किये गये , जिन पर नमूना का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया तथा नियमानुसार नमूने की कार्यवाही पूर्ण की तत्पश्चात् आवेदक द्वारा कार्यालय में पहूँचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगायी।एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर की एवं 2 प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में सलीम वाहन चालक द्वारा खाद्य विश्लेषक ,कोटा को जमा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई तथा नमूना का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के डी0ओ0 (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक/एमएसएसए/2017/2618 दिनांक 28.06.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विषलेषक कोटा की जांच रिपोर्ट संख्या 460/एफएसएसए/कोटा/एक्ट/2017/470 दिनांक 22.06.2017 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Mixed Milk** सबस्टेण्डर्ड पाया गया।

उक्त प्रकरण में खाद्य विषलेषक कोटा की जांच रिपोर्ट संख्या 460/एफएसएसए/कोटा/एक्ट/ 2017/470 दिनांक 22.06.2017 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ **Mixed Milk** का निर्माण व विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 धारा 51 में जुर्माना योग्य अपराध है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए तांकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्त के अधिवक्ता ने प्रस्तुत जवाब का अवलोकन करते हुए दौराने बहस निवेदन किया कि खादय सुरक्षा अधिकारी ने दूध का सेम्पल लेने से पहले ना तो दूध की टंकी को हिलाया और ना ही टंकी में किसी छडी वगै0 से दूध को हिलाया। नियमानुसार सेम्पल नहीं लिए जाने के कारण ही कोटा लैब की जांच में मिल्क फैट एवं मिल्क सौलिड नन फैट में थोडा ही अन्तर आया है। यदि नियमानुसार सेम्पल लिया जाता और दूध को ढंग से हिलाया मिलाया जाता तो दूध के सैम्पल में जांच में कोई अन्तर नहीं आता । खादय सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 12/06/2017 को प्रार्थी से दूध का सैम्पल लिया था उसकी जांच फुड एनालिस्ट कोटा द्वारा दिनांक 22/06/2017 को सैम्पल लिए जाने के करीब 10 दिन बाद की गयी थी। इन 10 दिनों के दौरान उक्त सैम्पल कौनसी जगह कितने तापमान पर किन परिस्थितियों में रखा गया इसका कोई हवाला फुड एनालिस्ट की रिपोर्ट में नहीं है। प्रकरण करीब 6 वर्ष पुराना है। प्रार्थी काफी समय से अन्वीक्षा भुगत रहा है। अभियुक्त ग्रामीण परिवेष का गरीब व्यक्ति है उसने अपनी और से दूध में कोई भी मिलावट नहीं की है, साथ ही वकील अभियुक्त ने उक्त कार्यवाही ड्राप फरमाने हेतु निवेदन किया है।

हमने अभियुक्तगण की बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली मे संलग्न खाद्य विषलेषक कोटा की जांच रिपोर्ट संख्या 460/एफएसएसए/कोटा/एक्ट/ 2017/470 दिनांक 22.06.2017 का अवलोकन किया गया । जिसके अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Mixed Milk** सबस्टेण्डर्ड का निर्माण व विक्रय करने का दोषी पाया गया है।यदि अभियुक्तगण उक्त जांच रिपोर्ट से सहमत नहीं था तो रेफरल प्रयोगशाला में जांच करने हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकता था। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 52 के तहत की गई अनियमितता के लिये सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुये अभियुक्त की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को 5000 (पांच हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाईमाधोपुर (राज.)

जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 24.04.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी